चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 22.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 22.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु इनामिया/हिस्ट्रीशीटर-टॉप-10 अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह तथा उनकी टीम द्वारा 12 वर्षों से फरार/मफरुर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की गयी।

आज दिनाँक 21.01.2025 को प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अथक प्रयास करते हुये वाद स0 67/05 मु0अ0स0 101/92 धारा 323/504 भादवि0 व 3(1)10 एससी एसटी एक्ट में 12 वर्षों से फरार/मसरूर चल रहा अभियुक्त सुभाष उर्फ सुभाषचन्द्र पुत्र लालजी गुप्ता निवासी मोहल्ला आर्य नगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को रेलवे लाइन झरी फाटक कस्बा मानिकपुर से गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-</u>

सुभाष उर्फ सुभाषचन्द्र पुत्र लालजी गुप्ता नि0 मोहल्ला आर्य नगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्ग विजय सिंह
2. उ0नि0 श्री रामेश्वर प्रसाद
3. आरक्षी प्रदीप कुमार

(4). अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में थाना मऊ पुलिस टीम ने आपराधिक विश्वासघात के 02 आरोपी अभियुक्त को 01 अदद मोटरसाइकिल,5000/-रूपये व सामान के साथ गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-</u>

1. जोखन यादव उर्फ जे0के0 पुत्र स्व0 तीरथराज निवासी ग्राम चड़ेरिया थाना गगहा जनपद गोरखपुर उ0प्र0
2. दीपक उर्फ छोटू पुत्र जोखन यादव निवासी ग्राम चड़ेरिया थाना गगहा जनपद गोरखपुर उ0प्र0

<u>बरामदगी-</u>

1. 01 अदद मोटरसाइकिल
2. एक अदद स्प्रे मशीन व दवाईया
3. 5000/- रूपये

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः-</u>

ग्राम जोरवारा नहर करही रोड थाना मऊ जनपद चित्रकूट,दिनाँक 22.01.2025 समय 12.10 बजे दोपहर

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 22.01.2025 को उ0नि0 श्री ओमप्रकाश एवं उनकी टीम द्वारा वांछित अभियुक्तों की तलाश व पतारसी सुरागरसी में मामूर थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 02 व्यक्ति मोटरसाइकिल के साथ जोरवारा नहर के करहाई रोड पर कुछ सामान कम दामों पर बेंच रहे है। सूचना पर मौके पर पहुंचकर दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा तो पहले ने अपना नाम 1.जोखन यादव उर्फ जे0के पुत्र स्व0 तीरथराज 2.दीपक उर्फ छोटू पुत्र जोखन यादव निवासीगण ग्राम चडेरिया थाना गगहा जनपद गोरखपुर उ0प्र0 बताया। दोनों से मोटरसाइकिल के कागजात के बारे में पूछा तो बताने में असमर्थता प्रकट करने लगे कडाई से पूछा गया तो बताए कि हमदोनो लोग दिनांक 29.09.24 को खाद बीज की दुकान लालता रोड़ से सरसो का हाइब्रिड बीज भी 10

पेटी व 10 स्प्रे मशीन व कुछ दवाईयाँ निकालकर स्कार्पियो गाड़ी मे लादकर मय मोटरसाइकिल के चले गये थे। हमने स्कार्पियो गाड़ी किराये पर ले रखी थी उसे एक अंजान व्यक्ति को पैसे की कमी होने के कारण बेच दिया, जिसमें से केवल 5000 रुपये, एक स्प्रे मशीन HY MARK कंपनी,सरसो के बीज का एक पैकेट PIONEER, दवा HIT 44 एक बोतल व मांगी गयी मोटरसाइकिल बची है। बरामद मोटरसाइकिल यूपी 96 पी 7509 होण्डा एसपी 125 रंग काला लाल,इंजन नं0 JC94E/G0405235 चैसिस नं0 ME4JC941LPG112658 है जो मु0अ0सं0 300/24 धारा 316(2) से, स्प्रे मशीन व दवाईयाँ मु0अ0सं0 10/25 धारा 316(2) से, 5000 रुपये बेची गयी स्कॉर्पियों गाड़ी से मु0अ0सं0 293/24 धारा 316(2) से संबंधित है। माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री ओमप्रकाश सिंह थाना मऊ

2.आरक्षी सोनपाल सिंह

3.आरक्षी शुभम त्रिपाठी

(5). अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में थाना सरधुवा पुलिस ने युवक के अपहरण का झूठा आरोप लगाने वाले 02 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. फूलचन्द्र उर्फ बच्चा पुत्र स्व0 मेढ़वा निवासी ममसी बुजुर्ग मजरा गड़ौली थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट

2. संतोष कुमार पुत्र रामसजीवन निवासी ग्राम इटौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट

फरार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-

1.नीरज उर्फ पप्पी पुत्र स्व0 मेढ़वा निवासी ममसी बुजुर्ग मजरा गड़ौली थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट

3.बड़की देवी पत्नी मेढ़वा निवासी ममसी बुजुर्ग मजरा गड़ौली थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट

उल्लेखनीय है कि वादिया बड़की देवी पत्नी स्व0 मेढ़वा प्रसाद निवासी ममसी बुजुर्ग मजरा गड़ौली थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दिया गया कि 07.12.2024 मेरे लड़के फूलचन्द्र को 1. शारदा प्रसाद पुत्र छोटवा 2.ललित पुत्र छोटवा 3.भीम सिंह परिहार पुत्र गौलाल सिंह परिहार 4.बबुलिया सिंह ठाकुर पुत्र शिवपूजन 5.अमरनाथ सिंह गौर पुत्र शिवकुमार सिंह 6.राजू सिंह पुत्र हरपाल सिंह निवासीगण ग्राम ममसी बुजुर्ग थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 7.चुन्नू गुरिजवान पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम गलौड़ी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट ने गायब कर हत्या कर दिये हैं। इस सूचना पर थाना सरधुवा में 192/24 धारा 140(1) बीएनएस बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया । मुकदमा उपरोक्त में अबतक की तमामी विवेचना,अवलोकन सीडीआर व कैफ, बयान अपहृत व अन्य साक्ष्य से नामजद आरोपियों की नामजदगी गलत करते हुए विवेचना से प्रकाश में आये कि वादिया व उसके पुत्र द्वारा अपने गायब होने की झूठी कहानी रचकर शारदा प्रसाद आदि गायब कर हत्या करने का आरोप लगाया था। विवेचना से अभियुक्त/अभियुक्ता 1.फूलचन्द्र उर्फ बच्चा पुत्र स्व0 मेढ़वा 2.नीरज उर्फ पप्पी पुत्र स्व0 मेढ़वा 3.बड़की देवी पत्नी मेढ़वा निवासीगण ममसी बुजुर्ग मजरा गड़ौली थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 4.संतोष कुमार पुत्र रामसजीवन निवासी ग्राम इटौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट का नाम प्रकाश में आया। अतः मुकदमा उपरोक्त में धारा 140(1) का लोप करते हुए धारा 248(ख),3(5),61(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी। आज दिनाँक 22.01.2025 को अभियुक्त 1.

फूलचन्द्र उर्फ बच्चा पुत्र स्व0 मेढ़वा निवासी ममसी बुजुर्ग मजरा गड़ौली थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 2. संतोष कुमार पुत्र रामसजीवन निवासी ग्राम इटौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.अपराध निरीक्षक अंजनी कुमार सिंह थाना सरधुवा

2.उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय

3.आरक्षी ललित सोनी

4.आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी रवि प्रकाश द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा आज दिनाँक 22.01.2025 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 233/2014 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त रामदयाल कोरी पुत्र हुबलाल निवासी खजुरिहा कला थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी रवि प्रकाश द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा आज दिनाँक 22.01.2025 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 32/2017 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त दीनदयाल पुत्र पियारे निवासी कौबरा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(8). प्रेस नोटः-चित्रकूट पुलिस

माननीय न्यायालय द्वारा जुआ खेलने के आरोपी 03 अभियुक्तो को न्यायालय उठने तक की सजा व 600/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी सुजीत द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर सुश्री खुशबू चन्द्रा द्वारा आज दिनाँक 22.01.2025 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 126/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम के आरोपी अभियुक्त 1.महेश प्रसाद द्विवेदी पुत्र स्व0 कामता प्रसाद निवासी बिलौहा पुरवा मजरा सरैया थाना मानिकपुर

जनपद चित्रकूट 2. जाविर खान पुत्र बदरुउद्दीन निवासी मुस्लिम पुरवा मजरा सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 3.बरकत अली पुत्र सलीम बक्स निवासी मुस्लिम पुरवा मजरा सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 600/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।